FORM NO. III

AAP-A

Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..................न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा ....

बुन्दु व अन्य ....बनाम.............. देवी मोहन

किस्म मुकदमा नं0 प्रा. 9 नियम 13 CPC मुकदमा नं. 57/2015 सन्..........2022.........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/1/2023	आज PO साहब अन्य काम मे / मीटिंग / दोरे मे / बार द्वारा कार्यस्थगित होने से ता.पेशी दी गई। गत आदेशों की पालना मे दिनाक 24/1/23 को पेश हों। (हस्ताक्षर)	
24/1/2023	आज PO साहब अन्य काम मे / मीटिंग / दोरे मे / बार द्वारा कार्यस्थगित होने से ता.पेशी दी गई। गत आदेशों की पालना मे दिनाक 3-2-2023 को पेश हों। (हस्ताक्षर)	
3/2/2023	आज PO साहब अन्य काम मे / मीटिंग / दोरे मे / बार द्वारा कार्यस्थगित होने से ता.पेशी दी गई। गत आदेशों की पालना मे दिनाक 9-2-2023 को पेश हों। (हस्ताक्षर)	
9/2/2023	आज PO साहब अन्य काम मे / मीटिंग / दोरे मे / बार द्वारा कार्यस्थगित होने से ता.पेशी दी गई। गत आदेशों की पालना मे दिनाक 10-2-2023 को पेश हों। (हस्ताक्षर)	
10/02/23	वकील वादी उपस्थित / वकील वादी [illegible]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यात व दस्तावेजात का अवलोकन करने के साथ ही मूल वाद के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा अभिकथन किया गया कि प्रतिवादी के विरुद्ध हेतु उपरोक्त उक्त वाद बावजूद प्रतिवादी को कोई सूचना / तामील नहीं कराई गई। जबकि उक्त वाद की न्यायालय अधिवक्ता कलक्टर दीवानी के न्यायालय द्वारा में ट्रांसफर करने का ट्रांसफर करने के उपरांत कोई सूचना प्रतिवादी नहीं दी। प्रतिवादी के विरुद्ध दिनांक 13/10/99 एक तरफा कार्यवाही की जाकर निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। निर्णय व डिक्री पारित करते हुए प्रतिवादी को वादी के कब्जे [illegible] में दखल न करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। बहस के अभिकथनों पर विचार करते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. स्वीकार किये जाने एवं एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पर [illegible] के मान किया जाना। प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 के अनुसार -

FORM NO. III

AAP-A

Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत......न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा......

कुन्दू खाँ ......बनाम...... देवी मोहन

किस्म मुकदमा नं0 आ. 9 नियम 13 CPC मुक. नं. 57/2015 ......सन्......2022......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	"किसी ऐसे मामले में जिसमें डिक्री किसी प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय पारित की गई है, वह प्रतिवादी उसे अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा वह डिक्री पारित की गई थी और यदि वह न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि समन की तामील सम्यक् रूप से नहीं की गई थी या वह वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने से किसी किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था तो खर्चों के बारे में, न्यायालय में जमा करने के या अन्यथा ऐसे निबंधनों पर जो वह ठीक समझे, न्यायालय यह आदेश करेगा कि जहाँ तक डिक्री उस प्रतिवादी के विरुद्ध है वहाँ तक वह अपास्त कर दी जाए, और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा।"	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	मूल वाद में तामील व समन की तामील करने के पश्चात भी तथा प्रतिवादी के मूल वाद के प्रतिवादीगण व सहखातेदार के फौत होने के पश्चात उनके वारिसान की उचित तामील नहीं होना पाया जाता। जिससे दिनांक 13/10/99 की कार्यवाही में एकतरफा की गई। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी जिसके जरिये चाहे एक पक्षीय निर्णय व डिक्री अपास्त एक पक्षीय संयुक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मय निर्णय किया जाने उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर एक पक्षीय निर्णय व डिक्री 13.10.99 को निरस्त किया जाकर प्रतिवादीगण (प्रार्थीगण) को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाकर प्रतिवादी, जिससे वादी वाद को पूर्ण रूप से परिपक्व करते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र को मूल वाद के शामिल करते हुए मूल वाद को आगामी तारीख पेशी 14/02/23 को आगामी कार्यवाही किये जाने हेतु पत्रावली पेश करने के आदेश दिये जाते हैं। सहायक कलेक्टर दौसा, जिला दौसा